भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 61

जिसका उत्तर बुधवार, 18 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

नए वरिष्ठ वकीलों और विशेष अधिवक्ताओं की नियुक्ति

61. श्री आर.के.भारती मोहन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयी विभागों, उनके संबद्ध कार्यालयों, स्वायत निकायों, सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों और सरकारी क्षेत्र के निकायों के लिए नए वरिष्ठ वकीलों और विशेष अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों में एसोसिएट सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल और पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति में किसी पारदर्शी प्रणाली का अनुपालन कर रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रखी जाएगी।

(ग) और (घ) : एसोसिएट सॉलिसिटर जनरल की श्रेणी अस्तित्व में नहीं है। सहायक सॉलिसिटर जनरल तथा पैनल काउंसिल की नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार है कि योग्य अधिवक्ता देश के विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री के अनुमोदन से, बार में अपनी अर्हता, अनुभव, व्यावसायिक सक्षमता, ख्याति तथा प्रतिष्ठा के आधार पर नियुक्त होते हैं।

****